संख्या–1–ई.एम./2010–का–4–2010

प्रेषक,

अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः: दिनांकः: 16 नवम्बर, 2010

विषयः–मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठकों में प्रतिभाग किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश/परिपत्र दिनांक 20.12.2006 के द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली बैठकों में विभागीय प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा ही भाग लिया जाय । उक्त सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद कर्मचारी संगठनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक में अनेक विभागों के उपसचिव एवं अनुसचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा भाग लिये जाने पर मुख्य सचिव द्वारा गम्भीर असंतोष व्यक्त किया गया है । इस संबंध में उनके द्वारा दिये गये निम्न निर्देशों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(1) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली बैठकों में प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा ही प्रतिभाग किया जाय ।

(2) अपरिहार्य परिस्थितियों, यथा मुख्यालय से बाहर होने अथवा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य में समयबद्ध रूप से व्यस्त होने पर किसी अन्य अधिकारी को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु नामित करते हुए, उसकी सूचना बैठक से पूर्व मुख्य सचिव को अवश्य उपलब्ध करायी जाय ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–1–ई.एम./2010(1)–का–4–2010, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव के सूचनार्थ उनके प्रमुख स्टाफ आफिसर को प्रेषित ।

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव